

प्रेस नोट

दिनांक 25.11.2020 को थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 02 पिकप में कुछ पड़वा व गाय को निर्दयता पूर्वक लादकर वध करने के लिये कैण्ट स्टेशन की तरफ से गोलगड्डा की ओर जाने वाले हैं। इस सूचना पर थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा नक्खीघाट तिराहे पर पहुँचकर कैण्ट की ओर से आ रही 02 पिकप गाड़ियों को रूकने का इशारा किया गया, जिस पर पिकप में बैठे चालक व खलासी उतरकर भागने लगे, जिन्हे मौजूद पुलिस बल द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग कर समय करीब 09.10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः (1) इशराकिल पुत्र हमीद निवासी ग्राम पथरौरा थाना अदलाहट मिर्जापुर, (2) सुनील पुत्र सोहन लाल निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना बिधनू जिला कानपुर एवं (3) रामखिलावन पुत्र किच्छू यादव निवासी सराय रसूलपुर थाना बलुआ जिला चन्दौली बताया। रोकी गयी पिकप की तलाशी ली गई तो उसमें से 12 राशि पड़वा, 01 राशि पड़िया, 03 राशि गाय व 01 राशि बछड़ा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 225/2020 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 1955 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम 1960 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाहगी की जा रही है।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हमारी गाड़ी में कुछ जानवर लदे है, जिन्हें हम लोग गोलगड्डा में वध करने हेतु लेकर जा रहे थे। आप लोगों के द्वारा रुकवाने पर हम लोग डर गये तथा भागने लगे परन्तु आपलोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- इशराकिल पुत्र हमीद निवासी ग्राम पथरौरा थाना अदलाहट मिर्जापुर ।
- सुनील पुत्र सोहन लाल निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना बिधनू जिला कानपुर ।
- रामखिलावन पुत्र किच्छू यादव निवासी सराय रसूलपुर थाना बलुआ जिला चन्दौली ।

बरामदगी का विवरण-

- 12 राशि पड़वा, 01 राशि पड़िया, 03 राशि गाय व 01 राशि बछड़ा
- 02 अदद पिकप वाहन संख्या UP 65 GT 6501 व UP 67 T 7090

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 विनय तिवारी, उ.नि. अतुल त्रिपाठी, हे0का0 राजेश सिंह, का. मिन्टू कुमार व का. भूपेन्द्र कुमार थाना जैतपुरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर वाराणसी के नेतृत्व में कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक जैतपुरा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में अशोक विहार कालोनी में थे कि पुलिस उपाधीक्षक अपराध व क्राइम ब्रान्च प्रभारी मय टीम के आ गये, सभी लोग आपस में जनपद में हो रही घटनाओं के सम्बन्ध में वार्ता कर रहे थे कि इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्लैमर मोटरसाइकिल से 02 बदमाश अशोक विहार कालोनी की तरफ आने वाले हैं। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर पुलिस उपाधीक्षक अपराध के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक जैतपुरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त टीम द्वारा अशोक विहार चौराहे पर सघन चेकिंग प्रारम्भ की गयी। चेकिंग के दौरान सामने से एक बिना नं0 की ग्लैमर मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये, जिन्हे रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी मोड़कर भागने लगे। संदेह होने पर मौके पर मौजूद पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति सारंग चौराहा होते हुए जब बघवानाला के पास पहुँचे तो वरूणा कॉरिडोर के कच्चे रास्ते पर उनकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गयी। अपने को घिरता देख बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया जाने लगा। पुलिस टीम द्वारा अपने आप का बचाव करते हुए आत्मरक्षार्थ संतुलित एवं नियंत्रित जवाबी फायर किया गया, जिसमें एक युवक दाहिने पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर गया तथा दूसरा व्यक्ति अंधेरे का लाभ लेकर मौके से फरार हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान अनिल यादव पुत्र वीरभान यादव निवासी सब्बलखुर्द, थाना जमानिया जनपद गाजीपुर के रूप में की गयी, जिस पर ₹0 50,000/- का ईनाम घोषित है। अनिल यादव उपरोक्त को गिरफ्तार कर तत्काल उपचार हेतु कबीरचौरा अस्पताल ले जाया गया।

मुठभेड़ में घायल अपराधी अनिल यादव के कब्जे से एक अदद पिस्टल.32 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस व 03 अदद खोखा कारतूस.32 बोर तथा मोटरसाइकिल ग्लैमर बिना नम्बर की बरामद हुई। उक्त पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 223/2020 धारा-307/411 भादवि व मु0अ0सं0-224/2020 धारा-3/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अनिल यादव पुत्र वीरभान यादव निवासी सब्बल खुर्द, थाना जमानिया गाजीपुर हाल-पता सा-19/65ए-2 दनियालपुर थाना सारनाथ वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद पिस्टल .32 बोर।
- 02 अदद जिन्दा कारतूस व 03 अदद खोखा कारतूस .32 बोर।
- मोटरसाइकिल ग्लैमर बिना नम्बर की

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 223/2020 धारा 307/411 भादवि थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी

2. मु0अ0सं0 224/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी
3. मु0अ0सं0 180/2020 धारा 392 भादवि थाना लालपुर-पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी
4. मु0अ0सं0 235/2020 धारा 147/302/216/120(बी) भादवि थाना लालपुर-पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी
5. मु0अ0सं0 239/2020 धारा 307/506/216/120(बी) भादवि थाना लालपुर-पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी
6. मु0अ0सं0 246/2020 धारा 307/411 भादवि थाना लालपुर-पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी

पुलिस टीम का विवरण-

- 1- प्र.नि. जैतपुरा शशिभूषण राय मय टीम
- 2- प्रभारी क्राइम ब्रान्च अश्वनी पाण्डेय मय टीम

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 165/2020 दिनांक: नवम्बर, 25/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 25-11-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 36 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा बिना मास्क धारण किये *कुल 418 व्यक्तियों से रु0-9,300/- जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1080 वाहनों का चालान, 01 वाहन को सीज तथा 171 वाहनों से रु0-1,27,000/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 166/2020 दिनांक: नवम्बर, 25/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 25.11.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 169 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 5861 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 928 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 151 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 2130 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए, 07 के विरुद्ध 151 सीआरपीसी में चालान तथा 119 शोहदों को हिदायत दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।